भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-186
उत्तर देने की तारीख-22/07/2024
परीक्षा घोटाले

†186. **श्री एम. के. राघवन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 2014 से अब तक देश भर में प्रतियोगी परीक्षा घोटालों के संबंध में कोई डेटा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देखा है कि इस तरह के प्रतियोगी परीक्षा घोटालों के कारण अभ्यर्थियों और उनके परिवारों पर अत्यधिक मानसिक दबाव पड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार वर्तमान पेन और पेपर मोड से प्रतियोगी प्रवेश/भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में प्रतियोगी प्रवेश/भर्ती परीक्षाएंआयोजित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) केरल राज्य के विशेष रूप से कोझिकोड जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के साथ-साथ भर्ती हेतु भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये परीक्षाएं विभिन्न निकायों द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा संबंधी विशिष्ट घटनाओं से संबंधित आंकड़े मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख), (ग) और (घ) सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 लागू किया है। यह अधिनियम दिनांक 21 जून, 2024 से लागू हुआ है और इसके तहत दिनांक 23 जून, 2024 को नियम भी अधिसूचित किए गए हैं। परीक्षाएं समय-समय पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप आवश्यकताओं और अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर कंप्यूटर आधारित पद्धति (सी.बी.टी.) या पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाती हैं। एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई आदि में

प्रवेश के लिए जेईई (मुख्य), आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई (एडवांस्ड), आईआईएम में प्रवेश के लिए कैट, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अन्य सहभागी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीयूईटी (पीजी) आदि सहित कई परीक्षाएं पहले से ही सीबीटी मोड में आयोजित की जा रही हैं। अभ्यर्थियों के साथ पारदर्शी संव्यवहार के भाग के रूप में, सरकार द्वारा अपने विभिन्न निकायों के माध्यम से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की योजना, मानदंड और दिशानिर्देश, कार्यप्रणाली/प्रक्रियाओं की घोषणा विज्ञापन, सूचना बुलेटिन, सार्वजनिक नोटिस आदि के माध्यम से की जाती है।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए दिनांक 22.6.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली संबंधी संस्तुतियां करेगी और दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ङ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत आईआईआईटी कोट्टायम नामक एक आईआईआईटी की स्थापना वर्ष 2015 में केरल राज्य में की गई थी। पीपीपी योजना में, आईआईआईटी कोट्टायम की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपये है जिसका योगदान केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा आवर्ती व्यय के लिए 10.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार के कुल भाग की राशि अर्थात् 74.00 करोड़ रुपये (10.00 करोड़ रुपये-आवर्ती व्यय और 64.00 करोड़ रुपये गैर-आवर्ती व्यय) वर्ष 2020-21 तक आईआईआईटी (पीपीपी) कोट्टायम को पहले ही जारी कर दी गई है।

देश में कार्यात्मक 31 एनआईटी में से एक एनआईटी केरल राज्य के कोझीकोड जिले के कालीकट में कार्यात्मक है। वर्ष 2023-24 के दौरान एनआईटी, कालीकट को जारी की गई धनराशि 261.19 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, संसद के एक अधिनियम द्वारा 2009 में कासरगोड में केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 2023-24 के दौरान केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय को जारी की गई कुल धनराशि 96.42 करोड़ रुपये (यूजीसी के माध्यम से 81.75 करोड़ रुपये + एचईएफए फंड के रूप में 14.67 करोड़ रुपये) है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के दौरान आईआईएसईआर, तिरुवनंतपुरम और आईआईटी पलक्कड़ को जारी की गई धनराशि क्रमशः 160.37 करोड़ रुपये और 278.86 करोड़ रुपये है।

****